राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

क्रमांकः एफ 6/RGKA/ग्रामीण प्रतियोगिता 2015–16/ 8732-64 दिनांकः 10/12/15

खेल अधिकारी समस्त

....

विषयः– राजीव गांधी खेल अभियान (RGKA) के अन्तर्गत ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का वर्ष 2015–16 के लिए आयोजन बाबत्।

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त कलेण्डर के अनुसार राजीव गांधी खेल अभियान योजनान्तर्गत ग्रामीण खेलों की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जनवरी 2016 के प्रथम सप्ताह से आयोजित की जा रही है। इसे मध्यनजर रखते हुए राज्य में ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन निम्न प्रकार से किया जाना निश्चित किया गया है।

ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन	
दिनांक	स्थल
दिनांक 24.12.2015 से 26.12.2015 तक।	यह प्रतियोगिता ब्लॉक मुख्यालय के किसी भी स्थान पर जहां इस प्रतियोगिता के लिए पर्याप्त खेल सुविधाऐं हो आयोजित की जा सकती है।

जिला स्तरीय प्रतियोगितओं का आयोजन	
दिनांक	स्थल
दिनांक 28.12.2015 से 30.12.2015 तक।	यह प्रतियोगिता जिले के किसी भी स्थान पर जहां इस प्रतियोगिता के लिए पर्याप्त खेल सुविधाऐं हो आयोजित की जा सकती है।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन	
दिनांक	स्थल
प्रथम वर्ग – एथलेटिक्स (बालक–बालिका) दिनांक 01.01.2016 से 02.01.2016 तक	अलवर
प्रथम वर्ग – वालीबॉल (बालक–बालिका) दिनांक 01.01.2016 से 02.01.2016 तक	झुन्झुनू
द्वितीय वर्ग – कबड्डी (बालक–बालिका) एवं खो–खो (बालक–बालिका) दिनांक 07.01.2016 से 09.01.2016 तक।	उदयपुर
तृतीय वर्ग – हैण्डबॉल (बालक) फुटबॉल (बालक–बालिका) दिनांक 04.01.2016 से 06.01.2016 तक।	जोधपुर
चतुर्थ वर्ग – तीरन्दाजी (बालक–बालिका), जूडो (बालक–बालिका) एवं हॉकी (बालक) दिनांक 01.01.2016 से 02.01.2016 तक।	जयपुर
पंचम वर्ग – हैण्डबॉल (बालिका) एवं हॉकी (बालिका) दिनांक 01.01.2016 से 02.01.2016 तक।	अजमेर
षष्टम वर्ग – कुश्ती (बालक–बालिका) दिनांक 15.01.2016 से 16.01.2016 तक।	भरतपुर

ग्रामीण खेलों के लिए राज्य के लिए चयनित खेल निम्न प्रकार है :—

टीम खेल स्पर्द्धा — 1. कबड्डी, 2. खो—खो 3. हॉकी 4. फुटबॉल 5. वॉलीबाल, 6. हैण्डबाल,
व्यक्तिगत खेल स्पर्द्धा — 1. एथलेटिक्स 2. तीरन्दाजी 3. जूडो, 4. कुश्ती

ब्लॉक स्तर पर खेलों का चयन :—

ब्लॉक स्तर पर उक्त में से कोई 5 खेलों का चयन टीम खेल व व्यक्तिगत खेल के 6:4 के अनुपात में चयन किया जाना है। ब्लॉक स्तर पर कम से कम 3 खेल टीम के तथा 2 खेल व्यक्तिगत स्पर्द्धा के चयन किये जाने है। एक खेल कम से कम दो ब्लॉक में आवश्यक रूप से चयनित हो। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर चयनित 5 खेल स्पर्द्धाओं में से कम से कम 3 खेल स्पर्द्धा प्रति ब्लॉक आवश्यक रूप से आयोजित की जावें इसके लिए प्रारंभ से ही खेल अधिकारी द्वारा नियोजन किया जाना आवश्यक है कि प्रतियोगिता के लिए जिले के किन—किन ब्लॉक में कौन—कौन से खेलों का चयन किया जाना है। यह भी ध्यान रखा जाये कि ब्लॉक में कम से कम 3 खेल में प्रतियोगितायें आवश्यक रूप से हो अन्यथा ब्लॉक के व्यय का समायोजन संभव नही होगा।

जिला स्तर पर खेलों का चयन :—

जिला स्तर पर सभी 10 खेलों कि प्रतियोगिता आयोजित की जानी है। यदि किसी कारण अपवाद स्वरूप 10 खेलों का आयोजन संभव न हो तो कम से कम 5 खेलों का आयोजन परिषद के अनुमोदन के उपरांत टीम स्पर्द्धा एवं व्यक्तिगत खेल स्पर्द्धा के खेलों में से किस प्रकार चयन कर किया जाये कि चयनित खेलों का अनुपात 6:4 संधारित किया जा सके। इससे कम खेलों के आयोजन पर व्यय का समायोजन संभव नही होगा।

उक्त प्रकार से चयनित खेलों में निम्न विवरणानुसार इवेन्ट आयोजित होगी :—

Group No.	Discipline	No. of Participants		Medals I, II, & III		Shields I & II		Utility Prizes I, II & III		Events	
		B	G	B	G	B	G	B	G	Boys	Girls
Group I	Athletics	17	17	51	51	2	2	51	51	100, 400, 800, 1500 & 3000m, Long Jumps, High Jump, Shot Put, Discus Throw, 4x100 & 4x400, Relay	100, 400, 800, 1500 & 3000m, Long Jumps, High Jump, Shot Put, Discus Throw, 4x100 & 4x400, Relay
	Volleyball	12	12	36	36	2	2	36	36	As Applicable	As Applicable
Group II	Kabaddi	10	10	30	30	2	2	30	30	As Applicable	As Applicable
	Kho-Kho	12	12	36	36	2	2	36	36	As Applicable	As Applicable
Group III	Football	16	16	48	48	2	2	48	48	As Applicable	As Applicable
	Judo	10	08	30	24	2	2	30	24	Up to 42 kg, 46kg, 50kg, 55kg,60kg, 66kg,73kg, 81kg, 90kg, & Above 90 kg	Up to 40 kg, 44kg, 48kg, 52kg,57kg, 63kg,70kg, & Above 70 kg

Group IV	Archery	04	04	15	15	2	2	15	15	30Mts (4), 50Mts(4), Team of best three	30Mts (4), 50Mts(4), Team of best three
	Handball	12	12	36	36	2	2	36	36	As Applicable	As Applicable
	Hockey	16	16	48	48	2	2	48	48	As Applicable	As Applicable
Group VI	Wrestling*	10	10	30	30	2	2	30	30	Upto 42kg, 46Kg, 50Kg, 54Kg, 58Kg, 63Kg, 69Kg, 76Kg, 85Kg, Above 85Kg,	Upto 38kg, 40Kg, 43Kg, 46Kg, 49Kg, 52Kg, 56Kg, 60Kg, 65Kg, Above 65Kg,

1. <u>जिला स्तरीय प्रतियोगिता :–</u>

1.1 जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रत्येक खेल में प्रत्येक खेल आयोजन के लिए 8 टीमों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे तथापि राजस्व जिले में 8 से कम ब्लॉक मुख्यालय होने पर भारत सरकार द्वारा टीमों की संख्या में निम्नवत शिथिलता प्रदान की गई है।

(क)	जिले में तीन ब्लॉक होने पर	ब्लॉक प्रतियोगिता के प्रत्येक खेल पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे स्थान पर रहने वाली टीम
(ख)	जिले में चार ब्लॉक होने पर	ब्लॉक प्रतियोगिता के प्रत्येक खेल पहले व दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम
(ग)	जिले में पांच से सात ब्लॉक होने पर	ब्लॉक प्रतियोगिता के प्रत्येक खेल पहले व दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम
(घ)	जिले में आठ व उससे अधिक ब्लॉक होने पर	ब्लॉक प्रतियोगिता के प्रत्येक खेल पहले स्थान पर रहने वाली टीम

1.2 प्रतियोगिता के किसी भी स्तर पर किसी खिलाडी/टीम की सीधी प्रविष्टि अनुज्ञेय (Allow) नहीं होगी।

1.3 प्रतियोगिता के आयोजन का प्रतिवेदन क्रीड़ा परिषद को जरिये फैक्स प्रतिदिन भिजवायें।

1.4 उक्तानुसार जिलों में खेल आयोजित कराने पर स्टाफ की कमी महसूस किये जाने पर क्रीडा परिषद को अवगत कराने पर अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त कर दिया जावेगा।

1.5 जिला स्तरीय प्रतियोगिता व ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में खेल का इवेन्ट के समान है।

ग्रामीण खेल प्रतियोगिता आयोजन में पालनार्थ मुख्य तथ्य :–

1. प्रतियोगिता में खिलाडियों की उपरी आयु सीमा 31 दिसम्बर 2015 को 16 वर्ष होगी। इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का प्रमाण पत्र या सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र (संलग्न Annexure-XII व XIII के प्रारूप में) में से कोई भी प्रमाण पत्र पात्रता प्रपत्र के संलग्न किया जावे। यह ध्यान रखा जावे कि खिलाडी को जारी किये जाने वाले मैरिट/प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रमाण पत्र में जन्म दिनांक का उल्लेख किया जाना है। आयु में किसी प्रकार की कपट न हो, इसका पता लगाने के लिए प्रर्याप्त व्यवस्था की जावे।

2. **उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, यथा सांसद, विधायक, प्रधान आदि से आर्थिक एवं अन्य सभी प्रकार का सहयोग लेकर उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित करावें।**
3. प्रत्येक खिलाडी का पंजीयन फार्म (Registration Form) **अध्यक्ष महोदय** के निर्देशानुसार आवश्यक रूप से भरवाया जावे। राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का पात्रता फार्म पात्रता फार्म (Annexure-XIV) आवश्यक रूप से भरवाया जावे। पंजीयन फार्म व पात्रता फार्म पात्रता फार्म (Annexure- XIV) का सम्पूर्ण विवरण प्रतियोगिता के बाद परिषद मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके अभाव में लेखों का समायोजन संभव नहीं होगा।
4. सभी प्रतियोगिताओं में संबंधित खेल के राष्ट्रीय फेडरेशन के द्वारा जारी नियमों की अक्षरशः पालना की जावे।
5. एक खिलाडी अधिकतम दो खेलों में भाग ले सकता है।
6. जिला खेल आयोजन के स्थान के चयन करते समय खेलों की आधारभूत संरचना, खेल उपकरणों व प्रशिक्षित रैफरीज की उपलब्धता का ध्यान रखा जावे।
7. रैफरीज को ब्लॉक स्तर पर रू. 200 प्रति रैफरी अधिकतम व्यय रू 2800 तथा जिला स्तर पर 300 रू प्रति रैफरी अधिकतम व्यय रू 6000 व्यय किये जा सकते है। यह व्यय आयोजन के लिए दिये जा रहे अनुदान से ही किया जाना है। ध्यान रखा जावे कि इससे अधिक व्यय इस मद में नहीं किया जावे।
8. आयोजन स्थल पर खिलाडियों व कार्मिकों की सुरक्षा, शांति व्यवस्था तथा खेल वातावरण बनाये रखने की पर्याप्त व्यवस्था की जावे।
9. ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय युवा खिलाडी इन खेलों में भाग लेने के लिए पात्र होगे जो भले ही साधारणतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत में न रहते हो परन्तु वहाँ के निवासी हो।
10. जहां पर जनजाति समुदाय की जनसंख्या है, वहां पर जनजाति संबंधित बालक/बालिकाओं को व्यक्तिगत एवं टीम स्पर्द्धा के चयन में पर्याप्त अवसर दिये जायेंगे।
11. ब्लॉक एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाडियों को प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है ।
12. खेल प्रतियोगिता आयोजन में भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन का पूर्ण पालन किया जावे तथा आयोजन में किये जाने वाले व्यय के सम्बंध में सामान्य वित्तीय एवम् लेखा नियम तथा उपापन नियम 2013 की पूर्ण पालना की जावे।
13. प्रतियोगिता आयोजन स्थल पर लगाये जाने वाले बैनर में "**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद जयपुर द्वारा आयोजित किया गया है।**" साथ ही ब्लॉक/जिले का नाम भी अंकित होना आवश्यक है।

2. <u>वित्तीय प्रबन्ध :–</u>

ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता हेतु रू. 20,000 प्रति खेल कि दर से 5 खेलों के लिए 1 लाख रूपये प्रति ब्लॉक का समेकित अनुदान दिया जावेगा जिसमें रहने, खाने व यात्रा व्यय सहित समस्त व्यय शामिल है इसी प्रकार जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु रू. 40,000 प्रति खेल कि दर से 10 खेलों के लिए 4 लाख रूपये प्रति जिला का समेकित अनुदान दिया जावेगा जिसमें रहने, खाने व यात्रा व्यय सहित समस्त व्यय सम्मलित है। इस उपलब्ध अनुदान का उपयोग निम्नलिखित मदानुसार किया जावेगा :–

• **खिलाड़ियों पर व्यय –** प्रतियोगिता में खिलाडियों को आवास, भोजन, यातायात एवं यात्रा व्यय के लिए मूर्त व्यवस्था करने के स्थान पर इस मद में खिलाडियो को ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता हेतु स्थानीय खिलाडी को 50 रू एवं गैर स्थानीय खिलाडी को 100 रू नकद दिये जायेगे। जिला स्तर की प्रतियोगिता हेतु स्थानीय खिलाडी को 75 रू एवं गैर स्थानीय खिलाडी को 150 रू देय होगा। गैर–स्थानीय खिलाडी को कोई भी एक पहचान पत्र जिससे कि उसकी गैर–स्थानीयता प्रमाणित होती हो, संलग्न करना होगा अन्यथा स्थानीय खिलाडी की दर से भुगतान किया जावेगा।	अनुदान का 50 से 60 प्रतिशत
• **मैदान व्यवस्था**	अनुदान का 15 प्रतिशत अधिकतम
• **प्रबंध व्यवस्था** उद्घाटन, समापन, रैफरीज की फीस, कन्ज्यूमेबल्स, खेल उपकरण, मेडल, सर्टिफिकेट, फोटोग्राफी और विडियोग्राफी	अनुदान का शेष भाग

2.1. विशेष ध्यान देने योग्य है कि यदि कोई जिला राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता है तो उसका ब्लॉक स्तर का दिया गया अग्रिम अनुदान समायोजित नहीं किया जायेगा।

2.2. अनुदान राशि प्रति खेल स्वीकृत की जा रही है। अतः यदि कोई खेल आयोजित नही होता है तो सम्बन्धित खेल की राशि वापिस लौटानी है।

2.3. किसी भी स्थिती में प्रति खेल स्वीकृत राशि के अतिरिक्त राशि उपलब्ध नही होगी। आयोजन के उपरान्त यदि कोई राशि शेष रहती है, उसे हिसाब के साथ जरिये बैक ड्राफ्ट वापिस करनी होगी।

3. **खिलाडियों की चयन प्रक्रिया :–**

जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत खेलों में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों मे से एक ही भाग ले सकते है तथा अन्य टीम स्पर्द्धा खेल में जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी समिति **RGKA** द्वारा गठित चयन समिति द्वारा ही बालक/बालिका खिलाड़ियों का चयन कर आगे की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए टीम भेजी जायेगी।

4. **वित्तीय लेखांकन :–**

4.1 प्रतियोगिता के आयोजन के तुरन्त पश्चात् निम्नांकित प्रपत्रों में उपयोगिता प्रमाण व अन्य विवरणीय निम्न संलग्न प्रपत्रों में 15 दिवस के अनन्तर क्रीडा परिषद को प्रस्तुत किया जावे।

S.No.	Document	Annexure Number
i	Utilization Certificate	V
ii	Consolited Statement of expenditure	V-A
iii	Consolited Statement of expenditure for the block level competition	V-B
iv	Consolited Statement of expenditure for the District level competition	V-C
v	Statement of expenditure for the State/UT level competitions	V-D
vi	Participation report for the block level competition	VI
vii	Results for the block level competitions - Individual	VI-A

viii	Results for the block level competitions - Team	VI-B
ix	Participation report for the district level competition	VII
x	Results for the district level competitions - Individual	VII-A
xi	Results for the district level competitions - Team	VII-B

4.2 उक्त दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी क्रीडा परिषद को भिजवाई जानी है।

5. ईनामी राशि का वितरण :–

अधोलिखित दर से प्राईज मनी की धनराशि व्यक्तिगत खिलाड़ी एवं टीम खिलाड़ियों को उनके संबंधित बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित की जायेगी। इसके लिए आवश्यक प्रपत्र/औपचारिकता जिला खेल अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है।

अतः ध्यान योग्य है कि जिला खेल अधिकारियों को प्रति खेल दिये जा रहे 20,000 रूपये के अनुदान में प्राईज मनी की राशि सम्मिलित नहीं है इसलिए प्राईज मनी पर कोई व्यय नहीं किया जावे। खिलाडियों को प्रतियोगिता स्थल पर मेडल, शील्ड व प्रमाण पत्र ही दिये जाने है जिसके लिए ऊपर उल्लेख किया जा चुका है।

प्रतियोगिता का स्तर	टीम व व्यक्तिगत स्पर्द्धा में ईनामी राशि का वितरण		
	प्रथम स्थान प्राप्त	द्वितीय स्थान प्राप्त	तृतीय स्थान प्राप्त
ब्लॉक स्तर	250/–	150/–	100/–
जिला स्तर	350/–	250/–	150/–
राज्य स्तर	2500/–	1500/–	1000/–

5.1 ऑवर ऑल जनरल चैम्पियनशिप का निर्धारण तथा ईनामी राशि को निम्नलिखित अंकों के अनुसार निर्धारित किया जावेगा :–

व्यक्तिगत स्पर्धा		टीम स्पर्धा	
स्थान	अंक	स्थान	अंक
प्रथम	05	प्रथम	05
द्वितीय	03	द्वितीय	03
तृतीय	02	तृतीय	02
चतुर्थ	01	चतुर्थ	01

5.2 व्यक्तिगत स्पर्धा में भी इन अंकों के अनुसार ऑवर ऑल Ist, IInd, IIIrd का निर्णय कर इसे अन्य खेलों के साथ कुल अंकों में जोडा जायेगा।

5.3 ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में अनुदान की अनुज्ञेयता आयोजित किये जाने वाले प्रति खेल के आधार पर निर्भर होगी। शेष राशि क्रीडा परिषद को वापिस करनी होगी।

6. प्रतियोगिता का प्रचार व प्रसार :–

जिला खेल अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे इस प्रतियोगिता का व्यापक प्रचार–प्रसार करें ताकि पर्याप्त ग्रामीण खिलाडी भाग लेने हेतु उपलब्ध रहे। भारत सरकार के निर्देशानुसार जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन में अधिकाधिक खेल प्रेमी लोगों को आमंत्रित किया जावें तथा यह तथ्य प्रमुखता से प्रकाश में लाया जावें और प्रदर्शित किया जावें कि यह

कार्यक्रम **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद जयपुर** द्वारा आयोजित किया गया है। आयोजन की सूचना स्थानीय जन प्रतिनिधियों, विधायकों एवं सांसद महोदय को भी दी जानी चाहिए।

प्रतियोगिता आयोजन में फोटोग्राफी व विडियोग्राफी अनिवार्य है, जिसमें ब्लॉक/जिले के नाम सहित बैनर का प्रदर्शित होना आवश्यक है। विडियोग्राफी की सीडी, एक्शन फोटोग्राफी, समाचार पत्रों की कटिंग उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

7. तकनीकी मार्गदर्शन :-

ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन के लिए भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों की प्रति पूर्व में भिजवाई जा चुकी है। जिला खेल अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन दिशा-निर्देशों का भली प्रकार अध्ययन कर ले तथा इन्हें अन्तिम मानते हुए खेलों का आयोजन करें। जिन खिलाडियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाता है। उनसे भली-भांति सम्पर्क बनाये रखे तथा उनके सम्पर्क सूत्र सहेज कर रखे।

राज्य स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में से जिन खिलाडियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाता है उनका सूचित स्थान पर सात दिवसीय **प्रशिक्षण-शिविर** आयोजित किया जावेगा। शिविर स्थान से ही टीम को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए रवाना कर दिया जावेगा।

सचिव
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्
जयपुर

क्रमांकः एफ 6/RGKA/ग्रामीण प्रतियोगिता 2015-16/ दिनांकः

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, अध्यक्ष महोदय, रा0रा0क्री0 परिषद्, जयपुर।
2. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान।
4. जिला कलेक्टर, समस्त।
5. निदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, पटियाला पंजाब।
6. शासन उप सचिव, RGKA मिशन डायरेक्ट्रेट, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. मुख्य लेखाधिकारी, रा0रा0क्री0 परिषद्, जयपुर।
8. खेल अधिकारी, प्रशिक्षण शाखा, मुख्यालय।
9. जनसम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय।

सचिव
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्
जयपुर

Rajiv Gandhi Khel Abhiyan (RGKA)
Government of India
Ministry of Youth Affairs & Sports

Registration Form (For Rural/Women's Competition)

Name of District: ______________________

Game: ______________________

Date: ________________

Photo

1. Name of the Participant: ______________________
2. Father's Name: ______________________
3. Male/Female: ______________________
4. Date of Birth: ______________________

   (Please attach proof)
5. Category (Gen., OBC, SC, ST): ________________
6. Name of school & Class (if studying): ____________

   ____
7. Mobile No.: ______________________
8. Residential Address: ______________________

   ____
9. Height: __________ Weight: ____________

(Signature of the participant)

Name: ________________

Countersignature of Team Incharge/Coach

Name: ________________

1. It is certified that the particulars of the participant as given above are correct.
2. Certified that the above participant is resident of rural area at least for the last 2 years (applicable in case of RGKA Rural competitions only) and his age is below _____ years as on 31st Dec. 2015.

Signature of the

District Sports Officer/Incharge

Name ______________

Office Seal

Note:

(i) Residence and age certificate of all competitions is to be attached with Entry Form.

(ii) If the participant is studying the Birth Certificate as per date of birth certificate perform only from School is to be attached as age proof.

(iii) In case of Non student a Certificate indicating proof of residence & age from Panchayat Authority as per specimen perform to be attached in original.

ANNEXURE-I

Details of Medal winners in respect of ________________ (Name of Competition) conducted during 2015-16.

Name of State/UT:- ____________________

Level of Competitions:- ___________________

Name of Block/District:- ______________________

S. No.	Name of Sports Disciplines	Event	Position (1^{st} 2^{nd}, 3^{rd} etc)	Name of Medal Winner	Address of Medal Winner	Name of Bank & Branch Address	IFS Code of Bank	Bank Account No.	Name of School/ College	Signature of Medal Winner

Signature ____________________

Name ____________________

Director/Secretary

State Sports Department/Council

Office Seal